राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प0 7(2)राज/वाद/18पार्ट जयपुर, दिनांक 15/6/18

मीना शर्मा पुत्री श्री गणेश नारायण शर्मा,
पता—ए—50, आजाद नगर, एयरपोर्ट के पास सांगानेर,
जयपुर ।

विषयः— **लिपिक ग्रेड—II(कनिष्ठ सहायक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा—2013 में चयनित होकर विधि (वादकरण) विभाग आवंटित होने पर कार्यग्रहणकाल में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः— **आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 11.05.18**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के क्रम में लेख है कि इस विभाग के आदेश दिनांक 09.04.18 द्वारा आपको कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान कर निर्देशित किया गया था कि, आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करें। किसी कारणवश 15 दिवस के अन्दर कार्यभार संभालने में असमर्थ हों, तो कारण स्पष्ट करते हुये इस विभाग को सूचित करें। उक्त आदेश की पालना में आप द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर अपना कार्यभार ग्रहण करने की अवधि बढ़ाये जाने का अभ्यावेदन दिनांक 19.04.18 को प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में इस विभाग के आदेश दिनांक 07.05.18 के द्वारा आपको कार्यग्रहणकाल में 15 दिवस का शिथिलन प्रदान करते हुए दिनांक 09.05.18 तक कार्यग्रहण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस विभाग के आदेश दिनांक 07.05.18 की पालना में आप द्वारा कार्यग्रहण नहीं कर पुनः कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 11.05.18 को प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के क्रम में आपको कार्यग्रहण करने हेतु दी गयी समयावधि दिनांक 09.05.18 में 45 दिवस का शिथिलन/छूट प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग के आदेश दिनांक 09.04.18 की पालना में दिनांक 23.06.18 तक कार्यग्रहण करें, कार्यग्रहण नहीं करने करने की सूरत में यह मानते हुये कि आप इस नियुक्ति के इच्छुक नहीं है, आपकी नियुक्ति निरस्त करते हुए आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग को लौटा दिया जावेगा, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

15/6/2018
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, विधि